

FORM NO.111

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

बहादुरसिंह

बनाम

बनवारी वगै०

किस्म मुकदमा:- दावा अंतर्गत धारा 144 व 151 सीपीसी मुकदमा नम्बर- 97/2022

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख
में जारी हुई

04.11.2022

अप्रार्थी की ओर से श्री विक्रम सिंह बांकावत एड० ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया। मूल वादपत्र 98/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2022 को इस न्यायालय में पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी मुकदमा नम्बर 20/2022 के निर्णय दिनांक 03.11.2022 के द्वारा अपास्त किया जाकर उनवानी प्रकरण बहादुर सिंह वगै० बनाम बनवारी वगै० मूल वादपत्र को सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया जाकर उभय पक्षकारान् को सुनवाई एवं जबाब देही का समुचित अवसर प्रदान किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजोरो को सम्मान अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यो एवं परिस्थितियों को देखते हुए अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया। स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1038, 1039, 978 कुल किता 3 कुल रकबा 2.68 है० तन ग्राम जुगुलपुरा के संबंध में निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2022 से पूर्व के राजस्व रिकोर्ड की स्थिति बहाल कर पालना रिपोर्ट दिनांक 14.11.2022 से पूर्व न्यायालय में भिजवाये। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।


दिलीप सिंह

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

